द सेंकेड सेक्स यानी आधी आबादी | एक ग्रामीण कक्षा में लिंगभेद पर चर्चा

सुनील कुमार

सामाजिक विज्ञान का अध्यापक होने के नाते एक ऐसी कक्षा में जहाँ तीस में से उन्नीस लड़कियाँ हों, इस मुद्दे पर शिक्षण करना आसान नहीं था। कक्षा सातवीं में 'समाज और महिलाओं की भूमिका' अध्याय पढ़ाते समय बहुत-से ऐसे मुद्दे बच्चों के सामने आने वाले थे जिन्हें वे रोज़ अपने घरों में जीते हैं और महसूस करते हैं। कक्षा के बच्चे अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके परिवारों में अभी भी पितृसत्ता का बोलबाला है। लड़कों और लड़कियों के पालन-पोषण में कई तरह के भेदभाव आमतौर पर देखे जा सकते हैं, जैसे कि एक ही परिवार के दो बच्चों में लड़का प्राइवेट अँग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ता है और लड़की सरकारी स्कूल में। ऐसे ही अनेक भेदभावों से बच्चे परिचित होने वाले थे। मेरी योजना में पहले दिन महिलाओं से सम्बन्धित एक चर्चा की गई। इसमें बच्चों से गाँव-समाज में पुरुष और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने के लिए कहा गया। सभी बच्चों ने इस चर्चा में भाग लिया।

शुरुआत लड़कों से की गई। कक्षा में उपस्थित ग्यारह लड़कों ने अपनी बात रखी। इसमें प्रमुख रूप से पुरुष बाहर के काम करते हैं, नौकरी/मज़दूरी करने बाहर जाते हैं, घर के सभी निर्णय लेते हैं, खेतों में काम करते हैं आदि बातें शामिल थीं। लड़के जो बता रहे थे, उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा रहा था। इन कार्यों ने कक्षा के ब्लैक बोर्ड का दसवाँ हिस्सा घेर लिया था।

अब बारी लड़कियों की थी। उन्होंने दिन की शुरुआत से काम गिनाने शुरू किए। सुबह उठकर पानी भरना, घर में झाड़ू लगाना, जानवरों को चारा देना, सभी के लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, कपड़े धोना, दिन का खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल करना, खेत में पुरुषों की मदद करना आदि। लड़कियों दवारा गिनाए गए कार्यों से पूरा ब्लैकबोर्ड भर गया। मैंने सभी बच्चों से सवाल किया कि क्या महिला को इन सब कामों के बदले कोई वेतन मिलता है? कोई जवाब नहीं आया। दूसरा सवाल किया कि जब पुरुष बाहर काम करने जाता है क्या तब उसे वेतन मिलता है? सभी बच्चों का जवाब था, "हाँ मिलता है।"

गृहकार्य में दो सवाल दिए गए। पहला, घर जाकर यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि महिलाओं को उनके काम का वेतन क्यों नहीं मिलता है? दूसरा, क्या आपको अपने घर में या आस-पड़ोस में लड़के और लड़की (ख़ासकर छोटे बच्चे) की परवरिश में कोई भेदभाव नजर आता है? आज बच्चों को यह तो समझ आया कि महिलाओं द्वारा इतना सारा काम किया जाता है, वह भी बिना वेतन के, फ़िर भी उन्हें घर में पुरुषों के बराबर सम्मान नहीं मिलता है।

दूसरे दिन, बच्चों को गृहकार्य के लिए दिए गए सवालों पर चर्चा से कक्षा की शुरुआत की गई। कुछ बच्चों ने बताया कि महिलाओं को वेतन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे सभी काम महिलाओं के ही हैं, अगर वे नहीं करेंगी तो कौन करेगा। लेकिन कुछ बच्चों ने तर्क दिया और कहा कि जब यही महिलाएँ दूसरे घरों में जाकर यह सब काम करती हैं तब उन्हें इसके लिए वेतन मिलता है।

अब बातचीत के दौरान कई अन्य सवाल उठने लगे कि क्या घर में किए जाने वाले कार्यों को बाहर करने वाले कार्यों के समान नहीं माना जाना चाहिए? क्या उन्हें करना केवल महिलाओं की ज़िम्मेदारी है? आख़िर में राय बनी कि घर के कार्य महिला और पुरुष दोनों के हैं, दोनों को मिल-बाँट कर करने चाहिए। वहीं मैंने अपना पक्ष रखा कि हमारा संविधान समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहता है, यहाँ लिंग के आधार पर भेद करना ग़लत है।

अब दूसरे सवाल के उत्तर पर चर्चा शुरू हुई। लड़कियों ने कई प्रकार के भेदभाव सामने रखे। लड़कों को खेलने के लिए हवाई जहाज़ या कार दी जाती है, लड़कियों को गुड़िया। लड़कों को भरपूर खाने के लिए दिया जाता है और लड़कियों को बचा हुआ खाना। लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करने को कहा जाता है, लड़कों को कोई नहीं रोकता। लड़कियों को घर से बाहर कम जाने दिया जाता है, और रात में तो बिल्कुल नहीं जा सकती हैं, लेकिन लड़कों को किसी भी समय बाहर जाने दिया जाता है। लड़कों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा जाता है साथ ही ट्यूशन क्लास के लिए भी भेजा जाता है। लड़कियों को यह सब बहुत कम मिलता है। लड़कों को बाहर खेलने दिया जाता है, लड़कियों को नहीं। लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, लड़कों की नहीं होती।

इन सब चर्चाओं के बाद समानता के सिद्धान्त को बच्चों के सामने रखा गया। उन्हें समझाया कि समानता का सिद्धान्त सभी लोगों को समान मानता है चाहे वह महिला हो या पुरुष। लेकिन सामाजिक व्यवस्था ने महिला और पुरुष के मध्य असमानता को जन्म दिया। घरेलू और देखभाल के कार्यों को कम आँका गया और इसे परिवार का मामला माना गया। इसी से समाज में लिंगभेद का जन्म हुआ, जबकि हमारा संविधान लिंग आधारित भेदभाव को नहीं मानता है, ऐसा करने वालों के खिलाफ़ उचित कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था है। ऐसे ही अनेक कारणवश लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पातीं, उन्हें शिक्षा से दूर रहना पड़ता है और वे अच्छी नौकरी और सम्मानजनक जीवन के सपने से कोसों दूर रह जाती हैं।

हमारे समाज में महिलाओं को देवी का अवतार माना जाता है लेकिन देवी (महिलाओं) की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा नहीं होती है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बच्चों से बात हुई। बच्चों ने अनेक सवाल किए, "पुरुष ऐसा क्यों करते है?", "समाज में ऐसे नियम किसने बनाए?", "लड़कियों के जन्म को अशुभ क्यों माना जाता है?", "उन्हें जन्म से पहले ही या बाद में क्यों मार दिया जाता है?"

दूसरे दिन के गृहकार्य में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया जिन्होंने किसी न किसी तरह से देश के विकास में योगदान दिया हो?

Image source: SCERT

तीसरे दिन की शुरुआत बच्चों के जवाबों से हुई। सभी ने ऐसी महिलाओं के नाम बताए जिन्होंने देश के विकास में योगदान दिया- इन्दिरा गाँधी, सानिया मिर्ज़ा, पी.वी. सिन्धु, साइना नेहवाल, मनीषा ठाकुर, किरण बेदी, कल्पना चावला, कमला भसीन आदि। इसी में मैंने अपनी बात जोड़ी कि इन महिलाओं के आगे आने का कारण शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ही थी।

इस दिन की योजना में बच्चों को महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय, शारीरिक व यौन शोषण से बचाव के अधिकारों से परिचित कराना भी शामिल था। बच्चों को *घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005* से परिचित कराया। उन्हें बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से घर के अन्दर शारीरिक तथा मानसिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं को क़ानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। *विशाखा गाइडलाइन्स* की भी बात की गई, जिसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण से सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं। अन्त में उन्हें बताया गया कि देश के सभी नागरिकों को संविधान में समान अधिकार प्राप्त हैं - लिंग, जाति, धर्म आदि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

इस अध्याय को पढ़ाते समय सबसे बड़ी चुनौती थी कि बच्चों को उनके परिवार में होने वाले लिंग आधारित असमान व्यवहार से परिचित करवाना। बच्चों के लिए अपने व्यक्तिगत एवं परिवार के अनुभव साझा करना आसान नहीं था। बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठा पाने के लिए उन्हें जागरूक और सशक्त बनाना भी अपने आप में एक चुनौती थी। बच्चों द्वारा साझा किए गए अनुभव बेहद मार्मिक और संवेदनशील थे, उनके माध्यम से मुझे भी विभिन्न प्रकार के भेदभावों की जानकारी मिली।

सुनील कुमार अज़ीम प्रेमजी स्कूल, धमतरी (छत्तीसगढ़) में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। इसके पहले वे दिल्ली के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए एवं बीएड किया है। उन्हें चित्रकारी एवं यात्राएँ करना पसन्द है। उनसे sunil.kumar1@azimpremjifoundatio.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।